राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश।

समक्षः मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः।

अपील संख्या एस–06/ए/0477/2025

श्री नरेन्द्र सिंह चौहान..................अपीलार्थी।

बनाम

जनसूचनाधिकारी, कार्यालय–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जनपद–कासगंज़.....प्रतिवादी।

आदेश

अपीलीय प्रकरण प्रस्तुत हुआ। पुकार करायी गई। पुकार कराए जाने पर अपीलार्थी उपस्थित आए। विपक्षी/जनसूचना अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी ने अवगत कराया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अभी तक पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।

न्यायहित में **विपक्षी/जनसूचना अधिकारी, कार्यालय–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जनपद कासगंज को** अपीलार्थी के सूचना आवेदन अन्तर्गत धारा–6(1) व आदेश दिनांक 05.05.2025 तथा आज पारित आदेश दिनांक 01.07.2025 की प्रति संलग्न कर **उभय प्रकार से (ई–मेल व डाक) कारण बताओं नोटिस जारी** की जाए कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन के कम में बिन्दुवार पूर्ण सूचनाएं अगले 15 दिनों के अंदर अपीलार्थी के ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करें तथा अगली सुनवाई तिथि पर सूचना की प्रति एवं प्रेषण के प्रमाण के सहित आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में विपक्षी/जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 में प्राविधानित दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। **अपील वास्ते अगली सुनवाई दिनांक 18.08.2025 को पेश हो।**

(स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः)
राज्य सूचना आयुक्त
01.07.2025

मोलहे प्रसाद